RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. परमादेश (मेण्डेमस) कब जारी किया जाता हैं ?

उत्तरः–अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत किसी संस्थान/सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा लोक कर्त्तव्य सम्पन्न न करने की स्थिति में लोक कर्त्तव्य का निर्वहन करने का 'परमादेश' जारी किया जाता हैं।

2. समान नागरिक संहिता (UCC) से क्या तात्पर्य हैं ?

उत्तरः–एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक विधि का प्रयुक्त होना समान नागरिक संहिता कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 मे इसका उल्लेख हैं

3. मूल कर्त्तव्यों (Fundamental Duties) की कोई दो सीमाएँ लिखिए ?

☞ मूल कर्त्तव्यों की पालना नहीं होने पर दण्ड का प्रावधान नहीं हैं।

☞ अधिक महत्व के विषय यथा कर भुगतान, मतदान इत्यादि को इनमें सम्मिलित नहीं किया गया ।

4. संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या-क्या प्रावधान किए गये हैं ?

☞ अनुच्छेद 21 के विस्तार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित माना गया।

☞ अनुच्छेद 48(क) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण करना राज्य का दायित्व हैं।

☞ अनुच्छेद 51(क) के तहत पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य हैं।

5. अस्पृश्यता (Untouchability) से क्या आशय हैं ?

उत्तरः–किसी व्यक्ति पर जन्म/जाति/लिंग के आधार पर सामाजिक निर्योग्यताओं को थोपना व उत्पीड़ित करना अस्पृश्यता है। अनुच्छेद (17) के तहत इसके उन्मूलन हेतु प्रावधान किये गये हैं।

6. प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार पर टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः–अनुच्छेद (21) मे उल्लेखित 'प्राण व दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार को मेनका गाँधी वाद (1978) के पश्चात् शारीरिक संदर्भ तक सीमित न रखकर मानवीय सम्मान व गरिमामय जीवन तक विस्तृत किया गया। इसके तहत स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा, आश्रय का अधिकार जैसे विषय सम्मिलित कर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया का समावेश किया गया। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सर्वसमावेशी हैं किन्तु कई बार यह अतिविस्तृत होकर न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आधार बनता हैं।

7. 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of expression) लोकतत्र का प्राण हैं"। टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः–अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता को सक्रिय लोकतंत्र में भाग लेने में सक्षम बनाती है व अन्य अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। यह लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र से पृथक करती है, इसी कारण अनुच्छेद 19 में लिखित, मौखिक, सांकतिक व मीडिया की स्वतंत्रता को व्यापक आधार प्रदान किया गया है। यदा-कदा इसका दुरूपयोग अनावश्यक संघर्षो को जन्म देता है, अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं।

8. मूल अधिकार (Fundamental rights) व नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए ?

उत्तरः–मूल अधिकार देश में राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना के कारक है, वही नीति निदेशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में सम्मिलित किये गये। यद्यपि मूल अधिकार साधक है व साध्य नीति निदेशक तत्व है तथापि सम्पदा के अधिग्रहण व आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में 1951 से ही इनके मध्य वरीयता का संघर्ष रहा। परिणामस्वरूप गोलकनाथ वाद (1967) में मूल अधिकार, 25वें संविधान संशोधन में नीति निदेशक तत्व {अनुच्छेद 39(ख) व 39(ग)}, केशवान्द भारती वाद (1973) में आधारभूत ढ़ाँचे की संकल्पना एवं 42वें संशोधन द्वारा संशोधन की अप्रतिबन्धित शक्ति के विस्तार से नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन होते रहे।

एक ओर मूल अधिकारों की न्यायोचितता व दूसरी ओर नीति निदेशक तत्वों को लागू करने की राज्य की नैतिक बाध्यता से उत्पन्न इस संघर्ष का अंत मिनरवा मिल्स वाद (1980) में समन्वयकारी दृष्टिकोण से संभव हुआ जब यह व्याख्या की गई कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व समान उद्देश्यों के साथ अनुपूरक प्रकृति से संबंधित हैं। अब यह स्पष्ट है कि नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(ख) व 39(ग) को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में अतिक्रमण वैध है अन्यथा मूल अधिकार अपरिहार्य होगें।

सारथि एकेडमी